

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1610/2013/उदयपुर.

मैसर्स श्री यश एन्टरप्राइजेज, पंचवटी, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/06/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 06/वैट/12-13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी एक खननकर्ता के रूप में पंजीकृत है। उनके द्वारा आवंटित खानों से गिट्टी निर्माण किया जाकर उसका विक्रय किया जाता है। व्यवहारी द्वारा खनन के लिये उपयोग में आने वाली मशीनों एवं उनके कन्ज्यूमेबल आईटम्स की खरीद पर चुकाये गये कर को आगत कर के रूप में क्लेम किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि माईनिंग कार्य के लिये क्रय किये गये कैपिटल गुड्स एवं कन्ज्यूमेबल गुड्स का उपयोग निर्माण कार्य में नहीं होने से अधिनियम की धारा 18(1) के तहत आई.टी.सी. का क्लेम अनुज्ञेय नहीं है। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी की अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर यह निर्णय दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उत्खनन कार्य में प्रयुक्त करने के लिये जो प्लांट एवं मशीनरी खरीद की गई है वह धारा 18(1) के प्रावधानों में अनुज्ञेय नहीं है। इस तरह पारित अपील निर्णय से क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माइनिंग के कार्य के अलावा गिट्टी के निर्माण का कार्य भी किया जाता है अतः समस्त मशीनरी पर कैपिटल गुड्स के रूप में आगत कर का क्लेम नहीं दिया जाना विधि के विरुद्ध है अतः कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को निरस्त कर क्लेम दिये जाने का निवेदन किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो मशीनरी एवं अन्य सामान कैपिटल गुड्स के रूप में खरीद किया जाना बताया गया वह माइनिंग कार्य में ही प्रयुक्त होने का कोई विरोध नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 18(1) में कैपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. का क्लेम देने का प्रावधान है परन्तु कैपिटल गुड्स कौन से कहलायेंगे ? उसके लिये अधिनियम की धारा 2(7) एवं धारा 2(22) एवं धारा 18 को उद्धरित किया जाना उचित है।

**Sec. 2(7) - Capital goods**" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the Official Gazette;"

**Sec. 2(22)"Manufacture"** includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

**Sec. 18 Input Tax Credit. -**

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(a) sale within the State of Rajasthan; or

(b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or

(c) sale in the course of export outside the territory of India; or

(d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or

(e) being used as raw material ", except those as may be notified by the State Government," in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

(f) "being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale" in the course of export outside the territory of India; or "



- (g) being used in the State as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods,"; however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section."
- (2) The input tax credit under sub-section (1) shall be allowed only after verification of the deposit of tax payable by the selling dealer in the manner as may be notified by the Commissioner."
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or "(iia) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point; Explanation.- For the purpose of this clause, "first point in the series of sales" means the first sale made by a registered dealer in the State; or"
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction [xxx], on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner. "(3A) Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods."
- (4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.
6. वैट अधिनियम की धारा 18 के तहत किसी पंजीकृत व्यवसायी द्वारा राज्य में की गई खरीद पर आगत कर उन मामलों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है जो उप-धारा (1) की (a) to (g) में दिये गये प्रयोजन हेतु उपयोग में ली जावें।



लगातार.....4


7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो मशीनरी एवं अन्य कन्ज्यूमेबल आइटम्स खरीद किये गये हैं उन्हें उक्त धारा 18(1)(g) के तहत केपिटल गुड्स के रूप में खरीद किया जाना मानते हुये इस पर चुकाये गये कर का क्रेडिट चाहा गया है। इस संबंध में केपिटल गुड्स की ऊपर वर्णित परिभाषा अनुसार केपिटल गुड्स का अभिप्राय उस प्लांट एवं मशीनरी तथा उनके पार्ट्स व एसेसरीज को लिया गया है, जो मैन्यूफेक्चर के उपयोग में आये। चूंकि मैन्यूफेक्चर की ऊपर वर्णित परिभाषा अनुसार केवल उस प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है जिससे किसी कच्चे माल से एक नवीन वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण हो।

8. उक्त विधिक प्रावधानों के अधीन यह आवश्यक है कि धारा 18 के तहत केवल उन केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. अनुमत होगी जो सीधे मैन्यूफेक्चर के कार्य में प्रयुक्त होते हैं। चूंकि इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि जिन मशीनरी पर आई.टी.सी. क्लेम किया गया है वे किसी निर्माण कार्य में उपयोग में नहीं आती है बल्कि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये गये आइटम्स, मशीनरी एवं एक्सप्लोजिक्स केवल खनन कार्य में प्रयुक्त होने से वे केपिटल गुड्स की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं।

9. उक्त विधिक प्रश्न के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त विशेष वृत उदयपुर (2014) 38 Tax Update page 278 एवं राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान बनाम बिनानी सीमेंट (2014) 40 Tax Update PAGE 133 तथा कृष्णा मिनरल्स 40 Tax Update PAGE 156 में यह निर्णीत किया जा चुका है कि खनन कार्य हेतु प्रयुक्त मशीनरी पर अधिनियम 2003 के प्रावधान अनुसार आई.टी.सी. क्लेम अनुज्ञय नहीं है।

10. अपीलीय आदेश में विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपित शास्ति को अधिसूचना F12(92)FD/TAX 2011-46 दिनांक 15.09.2011 में निरस्त नहीं करने का निर्णय भी वास्तविक अभिलेख अनुसार लिया गया, क्योंकि अपीलार्थी ने समस्त रिटर्न दिनांक 21.06.2010 को प्रस्तुत कर दिये थे परन्तु दिनांक 30.09.2011 तक देय कर जमा नहीं कराया था। ऐसी स्थिति में अधिसूचना में विहित शर्त का पालन नहीं होने से शास्ति को वेव नहीं किया जा सकता था, जो प्रमाणिक होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
( क. एल. जैन )  
सदस्य